जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांकः—जे0एन0सी0यू0 / सा0प्र0 / 7860 / 2025 दिनांकः 27 फरवरी, 2025

सूचना

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस' के अवसर पर **विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं** का आयोजन **विश्वविद्यालय स्तर** पर निम्न विवरणानुसार किया जाना है:—

क्र.	प्रतियोगिताओं का नाम	आयोजन तिथि	संयोजक
1	भाषण प्रतियोगिता। (विषय—विकसित भारत की संकल्पना)	28 फरवरी, 2025	डॉ0 अजय कुमार चौबे (संयोजक) डॉ0 प्रमोद शंकर पाण्डेय (सदस्य) डॉ0 सन्दीप यादव (सदस्य) डॉ0 अभिषेक मिश्रा (सदस्य)
2	नाट्य प्रस्तुति। (विषय—1. अहिल्या बाई होलकर, 2. श्रवण कुमार की अपने माता—पिता के प्रति भक्ति, 3. भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश, 4. राम वनवास तथा 5. भरत मिलाप)	01 मार्च, 2025	डॉ0 सरिता पाण्डेय (संयोजक) डॉ0 अभिषेक त्रिपाठी (सदस्य) डॉ0 अभिषेक मिश्रा (सदस्य) डॉ0 सन्दीप यादव (सदस्य) डॉ0 सन्ध्या (सदस्य) डॉ0 अनुराधा राय (सदस्य)

नोट— समस्त प्रतियोगिताएँ विश्वविद्यालय परिसर स्थित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अकादमिक भवन में प्रातः 11:00 बजे से आयोजित होंगी, जिसमें प्रतिभाग हेतु पंजीकरण अधोलिखित गूगल फार्म के माध्यम से किया जायेगा:—

Link:- https://forms.gle/mcTP5zf4mwAbmbh87

उपरोक्त समस्त प्रतियोगिता से सम्बन्धित सामान्य नियम इस प्रकार हैं:—

01. विश्वविद्यालय परिसर एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्रथम एवं द्वितीय विजेता छात्र ही प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सकते हैं।
02. भाषण प्रस्तुतीकरण की अवधि 05 मिनट और नाट्य प्रतियोगिता की अवधि 10—15 मिनट समय निर्धारित है।
03. प्रतियोगिता का माध्यम हिन्दी भाषा होगी।
04. निर्णायक मण्डल का निर्णय ही सर्वमान्य होगा।

डॉ0(रंजना मल्ल)
समन्वयक,
महिला अध्ययन केन्द्र,
विश्वविद्यालय परिसर

(एस0एल पाल)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः—

1. माननीय कुलपति जी।
2. निदेशक शैक्षणिक, विश्वविद्यालय परिसर को तदनुक्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।
3. प्राचार्य / प्राचार्या / प्रबन्धक, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय को इस आशय से प्रेषित कि महाविद्यालय स्तर पर आयोजित प्रतिस्पर्धाओं के प्रथम एवं द्वितीय विजेताओं का उपरोक्त प्रतिस्पर्धाओं में अनिवार्यरूपेण प्रतिभाग सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
4. समस्त संयोजकगण।
5. प्रभारी वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने तथा कालेज लागिन में सम्प्रेषण हेतु।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल की अध्यक्षता में दिनांक 13.02.2025 को प्रज्ञा कक्ष, राजभवन में हुई ऑनलाइन बैठक का कार्यवृत्त।

सम्मिलित अधिकारीगण–

1– समस्त कुलपति / कुलसचिव उत्तर प्रदेश (वर्चुअली / ऑनलाइन)
2– डा0 पंकज एल0 जानी, विशेष कार्याधिकारी(शिक्षा), श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3– श्री हेमन्त कुमार चौधरी, उप सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
4– श्री एस0डी0 पौल, अनुभाग अधिकारी (शिक्षा–1), राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
5– श्री इन्द्रसेन, अनुभाग अधिकारी (शिक्षा–2), राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश।

बैठक का प्रारम्भ अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा वर्चुअली / ऑनलाइन बैठक में सम्मिलित समस्त कुलपति एवं अन्य सभी अधिकारियों का स्वागत करते हुए निम्नानुसार 13 बिन्दुओं की समीक्षा बैठक प्रारम्भ की गयी:–

1– अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन के संबंध में।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस दिनांक 08 मार्च, 2025 के अवसर पर समस्त विश्वविद्यालयों / संस्थानों को यह निर्देश दिये गए कि पूर्व में सम्पन्न हुई राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतियोगिता / कार्यक्रम की भांति महिला दिवस के अवसर पर भी 6 समूह में निम्नलिखित दो प्रतियोगिताएँ समस्त विश्वविद्यालय / संस्थान के बीच महिला अध्ययन केन्द्र द्वारा सम्पन्न करायी जाए:–

(क) भाषण प्रतियोगिता जिसके विषय निम्नवत् होगें–

1. दहेज प्रथा उन्मूलन
2. बाल विवाह पर प्रतिबंध
3. विकसित भारत की संकल्पना
4. वृद्धाश्रम की जरूरत क्यों है?
5. कृषि क्षेत्र में महिलाओं का योगदान

(ख) नाट्य प्रस्तुति (नाट्य प्रस्तुति में 8 से 10 छात्र–छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया जा सकता है) जिसके विषय निम्नवत् हैं:–

1. अहिल्या बाई होलकर
2. द्रौपदी वस्त्रहरण
3. श्रवण कुमार की अपने माता–पिता के प्रति भक्ति
4. भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश
5. राम वनवास
6. भरत मिलाप

प्रतिस्पर्धा के विभिन्न चक्र निम्नानुसार होगे:–

(क) प्रथम चक्र– विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के स्तर पर प्रतिस्पर्धा आयोजित कर प्रथम व द्वितीय का चयन किया जायेगा। इसके पश्चात् उन विजेताओं की विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतिस्पर्धा आयोजित कर प्रथम व द्वितीय का चयन किया जायेगा।

ऐसे Stand alone विश्वविद्यालय (जिनके पास कोई सम्बद्ध महाविद्यालय नहीं हैं) के स्तर पर प्रत्येक प्रतिस्पर्धा के विजेता को चिन्हांकित किया जायेगा।

(ख) द्वितीय चक्र– 06 विश्वविद्यालयों के समूह में प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक प्रतिस्पर्धा में चिन्हित विजेताओं (प्रथम व द्वितीय) के मध्य प्रतिस्पर्धा होगी। 06 विश्वविद्यालय समूह में की जाने वाली प्रतिस्पर्धा में भाषण प्रतिस्पर्धा में प्रत्येक समूह से 02 विजेता (प्रथम व द्वितीय) घोषित किये जायेंगें तथा नाट्य प्रतिस्पर्धा में 02 टीम (प्रत्येक टीम में अधिकतम् 10 प्रतिभागी हो सकते हैं) विजेता (प्रथम व द्वितीय) घोषित की जायेंगी।

(ग) तृतीय चक्र– उत्तर प्रदेश राजभवन में प्रदेश स्तरीय प्रतिस्पर्धा आयोजित की जायेगी। विजेता छात्रों/टीम के मध्य राजभवन में इन प्रतिस्पर्धाओं (जैसा उक्त प्रस्तर–ख में अंकित है) को दिनांक 08.03.2025 को आयोजित किया जायेगा, जिसकी अध्यक्षता मा0 कुलाधिपति महोदया द्वारा की जायेगी ।

उक्त के अतिरिक्त 05 विश्वविद्यालय (1–लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, 2–महात्मा ज्योतिबाफुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली, 3–सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर, 4–पंडित दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, 5–काशी विद्यापीठ, वाराणसी) एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के मध्य अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं की भाषण प्रतिस्पर्धा आयोजित करायी जायेगी, जिसमें प्रत्येक विश्वविद्यालय से 02–02 विजेता (प्रथम व द्वितीय) प्रतिभागी उपलब्ध कराये जायेंगें, जो राजभवन में मा0 कुलाधिपति महोदया के समक्ष दिनांक 08.03.2025 को प्रस्तुतीकरण देगें।

(कार्यवाही–समस्त कुलपति/निदेशक)
(समय सीमा–दो सप्ताह)

2– राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय रैंकिग हेतु एक दिवसीय कार्यशाला के आयोजन के संबंध में।

5 मार्च को राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय रैंकिग हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुर्नवास विश्वविद्यालय, लखनऊ में आयोजित कराने के निर्देश दिये गए जिसमें NIRF फ्रेमिग, QS एशिया रैंकिंग तथा QS World रैंकिंग के लिए वर्कशाप का आयोजन किया जायेगा। जिसमें कुलपति, कुलसचिव, IQAC हेड, वित्त नियंत्रक के साथ 5–6 शिक्षक सम्मिलित रहेंगे। यह कार्यक्रम पूर्व वर्ष में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर में हुये "शिक्षा मंथन" की तर्ज पर सेल्फ फंडिंग द्वारा सम्पन्न कराया जाएगा। इसके लिए एक समिति का गठन किया जायेगा एवं समिति की संस्तुति अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही–समस्त कुलपति/निदेशक)
(समय सीमा– एक सप्ताह)

3– विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली सम्बद्धता के संबंध में।

नये महाविद्यालय/नया विषय/नया वर्ग/नया संकाय/महाविद्यालयों को स्थाई सम्बद्धता देने सम्बन्धी प्रकरणों में विश्वविद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा यह भी सुनिश्चित/सत्यापित किया जाय कि जो शिक्षक पूर्व में अनुमोदित/नियुक्त किये गये थे,

वह अभी भी संबंधित महाविद्यालय में कार्यरत हैं अथवा नहीं?, आदि का संज्ञान लेते हुए तद्नुसार रिपोर्ट प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही–समस्त कुलपति)

4– अधिनियम/परिनियम आदि में संशोधन के संबंध में।

विश्वविद्यालयों के अधिनियम/परिनियम में, NEP 2020 के बाद जो परिवर्तन हुए हैं व जो प्रावधान नहीं है, उन्हें सम्मिलित करते हुए कौन से परिवर्तन किये जा सकते हैं, उन्हें करने हेतु मंतव्य उपलब्ध कराया जाये।

(कार्यवाही– समस्त/कुलपति/निदेशक)
(समय सीमा– दो सप्ताह)

5– 120 प्रपत्रो को भरे जाने के संबंध में।

सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा **120** प्रपत्र पूर्णरूपेण भरे नहीं गये हैं। समस्त विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा 120 प्रपत्र शीघ्र भरा जाये तथा विश्वविद्यालय/संस्थान की तरफ से यदि इसमें कोई बिन्दु समाहित किये जाने हों तो उससे भी अवगत कराया जाय।

(कार्यवाही– समस्त कुलपति/निदेशक)
(समय सीमा– दो सप्ताह)

6– अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय/संस्थानों से किये गये समझौता/MOU के संबंध में।

विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से जो MOU किए गए हैं और जो क्रियाशील हैं, उनकी सूचना शीघ्र उपलब्ध करायी जाए।

(कार्यवाही– समस्त/कुलपति/निदेशक)
(समय सीमा– एक सप्ताह)

7– पिछले 5 वर्षों में विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा किये गए वेबिनार / सेमिनार के संबंध में।

प्रदेश के कुल 34 विश्वविद्यालयों में से केवल 18 विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा रिस्पोन्स किया गया। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि NEP 2020 अथवा अन्य विषयों पर एक या एक से अधिक दिवस के आयोजित किये गए वेबिनार/सेमिनार की संख्या से शीघ्र अवगत कराया जाए।

(कार्यवाही– समस्त कुलपति/निदेशक)
(समय सीमा– एक सप्ताह)

8– Standford University की 2 प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची में विश्वविद्यालय/संस्थान के वैज्ञानिकों के दर्ज नामों के संबंध में।

समस्त विश्वविद्यालय/संस्थान को शीघ्र ही सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। Standford University की गत पॉच वर्षो में 2 प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची में सम्मिलित वैज्ञानिकों से उनके प्रकरणों को ज्ञात कर छात्रगणों को भी अवगत कराया जाए।

(कार्यवाही– समस्त कुलपति/निदेशक)
(समय सीमा– दो सप्ताह)

9– NAAC मूल्यांकन संबंधी पुस्तक प्रकाशन के संबंध में।

विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा नैक मूल्यांकन के उपरान्त, विश्वविद्यालय/संस्थान में हुये सकारात्मक परिवर्तन को सम्मिलित करते हुए शीघ्र पुस्तक प्रकाशित कराना सुनिश्चित किया जायें तथा पुस्तक की एक प्रति इस सचिवालय को उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही–समस्त कुलपति/निदेशक)
(समय सीमा– दो सप्ताह)

10– पढ़े विश्वविद्यालय/पढ़े महाविद्यालय एवं बढ़े विश्वविद्यालय/बढ़े महाविद्यालय

पढ़े विश्वविद्यालय/पढ़े महाविद्यालय बढ़े विश्वविद्यालय/बढ़े महाविद्यालय, मार्च के प्रथम सप्ताह में किसी दिवस को एक घण्टें का कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। यह कार्यक्रम सभी विश्वविद्यालय एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में छात्र–छात्रायें एवं उनके अभिभावकगण तथा विश्वविद्यालय में तैनात कार्मिकों के एक साथ पुस्तक पढ़ने के कार्यक्रम को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कैम्पस में आयोजित कराया जायेगा तथा पढ़े विश्वविद्यालय/पढ़े महाविद्यालय एवं बढ़े विश्वविद्यालय/बढ़े महाविद्यालय कार्यकम में विश्वविद्यालयों द्वारा गोद लिए गये गॉवों के बच्चों को भी सम्मिलित किया जायेगा।

(कार्यवाही– समस्त कुलपति/निदेशक)

11– सामाजिक कुरीतियों यथा दहेज प्रथा निवारण/नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा

योग दिवस प्रतिज्ञा कि भॉति एक और ऐसा अभियान चलाना है जिसमें समस्त विश्वविद्यालय/संस्थान को अपने–अपने विश्वविद्यालय व महाविद्यालय स्तर पर 'दहेज नहीं लेना, दहेज नहीं देना' की प्रतिज्ञा, 'दहेज प्रथा निवारण' प्रतिज्ञा में 'दहेज न लेंगें और न देंगे' को सम्मिलित करके ली जाने वाली प्रतिज्ञा का प्रारूप, विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा शीघ्र ही प्रस्तावित किया जाये।

'नशा मुक्ति प्रतिज्ञा' का कार्यक्रम भी इसी प्रकार आयोजित किया जायेगा तथा प्रतिज्ञा का प्रारूप विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। यह कार्यक्रम मार्च के द्वितीय सप्ताह में एक घण्टे का आयोजित किया जायेगा।

(कार्यवाही–समस्त कुलपति/निदेशक)

12– साइकिल यात्रा

विश्वविद्यालय/संस्थान को यह भी निर्देश दिये गए कि 25–25 छात्र–छात्राओं के समूह द्वारा साइकिल यात्रा सुनिश्चित करायी जाये जिसमें 150 कि0मी0 की दूरी तय की जाये तथा विश्वविद्यालयों के छात्र–छात्राओं द्वारा गोद लिए गए गॉवों तथा कोई ऐतिहासिक स्थान से भ्रमण करते हुए साइकिल यात्रा लगभग 150 कि0मी0 की पूरी की जाए। इसमें एन0सी0सी0 के एक–दो बच्चों को सम्मिलित किया जा सकता है। इसमें महिला केन्द्र के साथ मीटिंग करते हुए कौन–कौन से स्थान इसमें आएंगे एवं छात्रगण कहां–कहां भ्रमण करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कार्यक्रम मार्च माह में किया जा सकता है जिसमे एन0सी0सी0/ एन0एस0एस0 के एक या दो छात्र लीड ले सकते हैं इसके स्लोगन के साथ सभी छात्र–छात्राओं के खाने, रूकने एवं यात्रा–पथ की योजना बनाकर कार्यक्रम प्रारंभ करने की तैयारी की जाए।

(कार्यवाही– समस्त कुलपति/निदेशक)
(समय सीमा–एक माह)

13– **पी0एम0 ऊषा (प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान)**

पी0एम0 ऊषा से प्राप्त होने वाली धनराशि से जेम पोर्टल से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के संबंध में समस्त विश्वविद्यालय/संस्थान के वित्त नियंत्रक/कुलसचिव, द्वारा जेम पोर्टल के नियमों को अच्छे से समझ लिया जाए व तद्नुसार जेम पोर्टल से क्रय प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। पी0एम0 ऊषा का विवरण तथा इसके अन्तर्गत प्राप्त ग्राण्ट के उपभोग सम्बन्धी प्रमाण पत्र सम्बन्धित को समयानुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। इसके अतिरिक्त यदि जेम पोर्टल पर क्रय संबंधी कोई कठिनाई आ रही है तो डा0 कृष्ण मुरारी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जेम पोर्टल, उ0प्र0 से सम्पर्क स्थापित कर उसका निराकरण कराया जाए।

(कार्यवाही–समस्त विश्वविद्यालय/संस्थान के वित्तनियंत्रक/कुलसचिव)
(समय सीमा– दो सप्ताह)

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव।

राज्यपाल सचिवालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश–226027
संख्याः ई– 1112 /32–जी0एस0/2024 XXIII
दिनांकः 21 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त कुलपति/निदेशक, राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान, उ0प्र0।
2– समस्त कुलसचिव/वित्त नियंत्रक, राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान, उ0प्र0।
3– अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल के निजी सचिव को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4– विशेष कार्याधिकारी (शिक्षा) श्री राज्यपाल के निजी सचिव को विशेष कार्याधिकारी के अवलोकनार्थ।

(डा0 पंकज एल0 जानी)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी।